रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 202] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 1979/आषाढ़ 2, 1901

No. 202] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1979/ASADHA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 1979

सा० का० नि० 396 (अ) :—केन्द्रीय सरकार भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए काण्डला पत्तन पायलटेज (फीस) आदेश, 1975 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् —

1. (1) इस आदेश का नाम काण्डला पत्तन पायलटेज (फीस) संशोधन आदेश, 1979 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. काण्डला पत्तन पायलटेज (फीस) आदेश, 1975 में :—

(1) खण्ड 6 के उपखण्ड (1) में, अन्त में निम्नलिखित शब्द रखे जाएं, अर्थात् :—

"अथवा 3000 टन तक के माल, जो भारी मात्रा में तरल माल न हो, के लदान या उतराई करने वाले जहाजों के अन्तरण के लिए जब टग का प्रयोग किया जाता है।"

(2) खण्ड 7 के लिए निम्नलिखित खण्ड रखा जाए, अर्थात् :—

"7. नौवहन आदि के लिए फीस :—इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 तथा 3 में उल्लिखित पायलटेज फीस का 50%, काण्डला क्रीक के अन्दर एक जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए प्रत्येक बार लगाया जाएगा। परन्तु, यदि प्रवेश जलमार्ग से आगे किसी जहाज को लाना ले जाना हो तो इसे अतिरिक्त पायलटेज माना जायेगा और पायलटेज के पूरे प्रभार लगाए जाएंगे।

फिर यह भी कि किसी जहाज पर अन्तरण प्रभार नहीं लगाए जाएंगे,

(क) 3000 टन तक के माल, जो भारी मात्रा में तरल माल न हो, के लदान और उतराई के लिए।

(ख) जब पत्तन की सुविधा को देखते हुए जहाज का अन्तरण आवश्यक हो।"

(3) खण्ड 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"9. रविवार और पत्तन की अन्य छुट्टियों को काम करने के लिए फीस : रविवारों या पत्तन की अन्य छुट्टियों को पत्तन के टगों के प्रयोग और पायलटेज के लिए, साधारण फीस के अतिरिक्त, प्रभारीय साधारण फीस के 50% तक उद्ग्रहणीय होगी।

फिर यह भी कि 3000 टन माल, जो भारी मात्रा में तरल माल न हो, के लदान और उतराई करने वाले जहाजों से कोई अतिरिक्त फीस प्रभारीय नहीं होगी ।

10 रात्रि पायलटेज के लिए फीस : दिन के समय साधारण प्रभारीय फीस का 50% ऐसी साधारण फीस के अतिरिक्त, रात को पत्तन टगों के प्रयोग और पायलटेज के लिए उद्ग्रहणीय होगा ।

फिर यह भी कि, 3000 टन माल तक, जो भारी मात्रा में तरल माल न हो, के लदान और उतराई करने वाले जहाजों से ऐसी फीस नहीं ली जाएगी ।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "रात्रि" से सायं 7.00 बजे से प्रात: 7.00 बजे तक का समय अभिप्रेत है"

(4) अनुसूची के भाग 1 में, पहले स्तम्भ में मद (III) संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

"(3) 3000 टन तक माल के, जो भारी मात्रा में तरल माल न हो, लदान या उतराई करने वाले जहाज ।"

[फा० सं० पी० जी० आर०-29/79 (1)]

विनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 1979

G.S.R. 396(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following order to amend the Kandla Port Pilotage (Fees) Order, 1975, namely :—

1. (1) This order may be called the Kandla Port Pilotage (Fees) Amendment Order, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Kandla Port Pilotage (Fees) Order, 1975 :—

(i) in sub-section (1) of Clause 6, the following words shall be inserted at the end, namely :—

"or when the tug is utilized for shifting of vessels loading or unloading upto 3,000 tonnes of Cargo, not being liquid Cargo in bulk".

(ii) for clause 7, the following clause shall be substituted namely :—

"7. Fees for Shipping etc.—Fees amounting to 50 per cent of the pilotage fees enumerated in Part I and III of the Schedule to this Order shall be levied each time for shifting any vessel from one place to another inside Kandla Creek, but for the shifting of any vessel beyond entrance channel or vice versa it shall be treated as additional pilotage and full pilotage charges shall be levied ;

Provided that no shifting charges shall be levied on any vessel,—

(a) for the loading or unloading upto 3,000 tonnes of cargo, not being liquid cargo in bulk ;

(b) when shifting of the vessel is necessitated to suit the convenience of the Port."

(iii) for clauses 9 and 10 the following clauses shall be substituted namely :—

"9. Fees for working on Sundays or Port Holidays.—Fees amounting to 50 per cent of the normal fees chargeable shall be levied in addition to the normal fees, for the Pilotage and use of port tugs on Sundays or Port Holidays.

Provided that no such additional fees shall be charged from the vessels loading or unloading upto 3,000 tonnes of cargo, not being liquid cargo in bulk.

10. Fees for night pilotage.—Fees amounting to 50 per cent of the normal fees chargeable during day shall be levied in addition to such normal fees, for the pilotage and use of port tugs during the night.

Provided that no such additional fees shall be charged from the vessels loading or unloading upto 3,000 tonnes of cargo, not being liquid cargo in bulk.

Explanation.—For the purpose of this clause "night" means the period between 7.00 P.M. and 7.00 A.M."

(iv) in Part I of the Schedule, for the entry relating to item (iii) in the first column, the following shall be substituted, namely :—

"(iii) Vessels loading or unloading upto 3,000 tonnes of cargo, not being liquid cargo in bulk".

[F. No. PGR-29/79(i)]

D. K. JAIN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979